न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 81/2008

1 रामोवतार पुत्र गंगानाथ जाति जोगी निवासी बास खाजपुर हाल निवासी वार्ड नम्बर 26 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती बनारसी देवी स्त्री चन्दगीराम।
2 मुंगाराम पुत्र चन्दगीराम।
3 अमीलाल पुत्र चन्दगीराम।
4 शीशराम पुत्र चन्दगीराम।
5 जमनाराम पुत्र चन्दगीराम।
6 सुरताराम पुत्र चन्दगीराम।
7 बिश्म्बर पुत्र चन्दगीराम।
8 श्योपाल पुत्र टोरूनाथ।
9 सुशील पुत्र श्योदान।
10 विनोद पुत्र श्योदान।
11 श्रीमती चुकी देवी स्त्री जोखीराम।
12 रूड़मल पुत्र जोखीराम।
13 राजवीर पुत्र जोखीराम।
14 भातीराम पुत्र टोरूनाथ समस्त जाति जोगी निवासीगण बास खाजपूर तहसील व जिला झुंझुनू।
15 कुन्ती देवी स्त्री जगदेवा।
16 शंकर पुत्र जगदेवा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

17 बजरंग पुत्र जगदेवा समस्त जाति जोगी निवासीगण बास खाजपूर तहसील व जिला झुंझुनू हाल निवासी वार्ड नम्बर 26 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
18 झुंझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा उनवानी रामोवतार बनाम चन्दगीराम वगैरह दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 264/1992 निर्णय दिनांक 09.04.1999

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः—24.03.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 264/1992 में पारित निर्णय दिनांक 09.04.1999 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने जमीन खसरा नम्बर 201/2 वाके मौजा खाजपुर पुराना तहसील झुंझुनू में से 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि के खातेदारी हकुक हेतु अदालत मातहत के समक्ष एक दावा चन्दगीराम, श्योदान जोखी तथा रेस्पोडेंट संख्या 8 व रेस्पोडेंट संख्या 14 लगायत 17 के विरूद्व पेश किया। चन्दगीराम के वारिस रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 तथा श्योदान के वारिस रेस्पोडेंट संख्या 9 व 10 तथा जोखी के वारिस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रेस्पोडेंट संख्या 11 से 13 है तमाम रेस्पोडेंट स्वस्थ व व्यस्क है। उक्त दावा में अपीलांट व दावा के प्रतिवादीगण संख्या 1,2 एवं 4 के मध्य दिनांक 11.02.1993 को एक राजीनामा पेश हुआ जो दिनांक 18.05.1994 को तस्दीक किया गया। शेष प्रतिवादीगण की और से अपीलांट के दावे का कोई जवाब नहीं दिया गया। अदालत मातहत ने दिनांक 09.04.1999 को अपीलांट के दावे को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने केवल मात्र राजीनामा को विधिक नही मानकर वाद वादी खारिज किया है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का गुणावगुण पर कोई विवेचन नही किया है। विधि अनुसार प्रकरण राजीनामे के अनुसार डिक्री योग्य नही पाये जाने पर उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाकर गुणवगुण पर निर्णय का विधिक प्रावधान है। विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर विधिक त्रुटि की है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जावें एवं अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 1998 पेज 615, आर.बी.जे. 1994(1) पेज 134, आर.बी.जे. 1997 पेज 524 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने केवल मात्र राजीनामा को विधिक नही मानकर वाद वादी खारिज किया है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का गुणावगुण पर कोई विवेचन नही किया है। विधि अनुसार प्रकरण राजीनामे के अनुसार डिक्री योग्य नही पाये जाने पर उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाकर गुणवगुण पर निर्णय का विधिक प्रावधान है। विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर